राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1642 / 2013 / बूंदी.
2. अपील संख्या – 1643 / 2013 / बूंदी.

मैसर्स अडानी विल्मर लिमिटेड,
सिलोर रोड, बूंदी

.......अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–III, कोटा.
2. उपायुक्त अपील्स,
वाणिज्यिक कर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थीगण.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 01 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनों अपीलें, उपायुक्त, (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर, कैम्प–कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक **13.06.2013,** जो कमशः अपील संख्या 01 / सीएसटी / 2012–13 / बूंदी व 03 / वेट / 2012–13 / बूंदी के संबंध में हैं, के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–तृतीय, कोटा (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ''केन्द्रीय अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत् **निर्धारण वर्ष 2009–10** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **29.02.2013** में अपीलार्थी द्वारा चाहे गये कर के आस्थगन लाभ में से कमशः रू. **33,22,249 / – व रू. 58,87,029 / –** की राशि को अस्वीकार करने संबंधी पारित आदेश की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया है।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं । अतः दोनों अपील प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. उक्त प्रकरणों में तथ्यों के समान विवाद पर उक्त अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 626 एवं 627 / 2012 / बूंदी मैसर्स अडानी विलमार लि0 बनाम सीटीओ कोटा निर्णय दिनांक 15.04.2015 में निर्णय किया जा चुका है अतः उक्त प्रकरण इस निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

4. फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के स्वयं के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य